शहरी विकास विभाग

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रः दिल्ली सरकार

9वां तल, सी–विंग, दिल्ली सचिवालय, इन्द्रप्रस्थ एस्टेट, नई दिल्ली

विधायक का नाम : श्री महेन्द्र गोयल

दिनांक : 23.08.2019

विधान सभा अतारांकित प्रश्न संख्या : 121

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :–

क्र. सं.	प्रश्न	उत्तर
क	क्या यह सत्य है कि डीएमसी एक्ट के सेक्शन 329 के अनुसार स्ट्रीट लाईट लगाने और रख–रखाव की जिम्मेदारी एमसीडी की है;	**डी.एस.आई.आई.डी.सी** जी हॉ। **पूर्वी दिल्ली नगर निगम** जी हां, अधिकृत क्षेत्र में स्ट्रील लाईट लगाने व उनके रख रखाव की जिम्मेदारी पूर्वी दिल्ली नगर निगम की है । **दक्षिणी दिल्ली नगर निगम** जी हां, अधिकृत क्षेत्र में स्ट्रीट – लाईट लगाने तथा उनके रख रखाव की जिम्मेदारी दक्षिणी दिल्ली नगर निगम की है। **उत्तरी दिल्ली नगर निगम** हां, अधिकृत क्षेत्र में स्ट्रीट–लाईट लगाने तथा उनके रख रखाव की जिम्मेदारी उत्तरी दिल्ली नगर निगम की है।
ख	क्या यह भी सत्य है कि एमसीडी स्ट्रीट लाईट लगाने और उसके रख–रखाव के लिए खर्च की भरपाई के लिए डिस्कॉम के माध्यम से विद्युत कर लेता है;	पूर्वी दिल्ली नगर निगम, दक्षिणी दिल्ली नगर निगम व उत्तरी दिल्ली नगर निगम द्वारा बताया गया है दिल्ली नगर निगम की एक्ट की धारा 113 के अनुसार यह सत्य नहीं है ।
ग	क्या यह सत्य है कि 19 जनवरी, 2018 को माननीय मंत्री जी द्वारा बुलाई गई मीटिंग में यह निर्णय हुआ था कि स्ट्रीट लाईटों के रख–रखाव का काम एमसीडी द्वारा ही किया जाएगा;	**डी.एस.आई.आई.डी.सी** सत्य है। **पूर्वी दिल्ली नगर निगम** इस सन्दर्भ में पूर्वी दिल्ली नगर निगम को कोई भी आदेश प्राप्त नहीं हुआ है। **दक्षिणी दिल्ली नगर निगम** जी हां, यह सत्य है। दक्षिणी दिल्ली नगर निगम अपने अधिकार क्षेत्र में स्थित सभी अधिकृत क्षेत्रों में स्ट्रीट लाईटों के रख रखाव का कार्य करता है तथा अनाधिकृत कॉलोनियों में वेकल्पिक तौर पर करता है। **उत्तरी दिल्ली नगर निगम** इस सन्दर्भ में उत्तरी दिल्ली नगर निगम को कोई भी आदेश प्राप्त नहीं हुआ है।
घ	वर्तमान में दिल्ली की अनाधिकृत कालोनियों में स्ट्रीट लाईट किस निकाय के माध्यम से व किस फण्ड से लगाई जा रही हैं;	वर्तमान में दिल्ली की अनाधिकृत कॉलोनियों में स्ट्रीट लाईट डी.एस.आई.आई.डी.सी व सिंचाई एवं बाढ़ नियन्त्रण विभाग के द्वारा शहरी विकास विभाग के विधायक निधि से लगाई जा रही है।
ड	क्या यह सत्य है कि डिसकॉम द्वारा अनाधिकृत कालोनियों में लगाई गई नई स्ट्रीट लाईटों को चालू करने के लिए एमसीडी बिल भरने की सहमति नहीं देता;	**पूर्वी दिल्ली नगर निगम** 2008 में दिल्ली सरकार द्वारा दिए गए फंड से डिसकॉम द्वारा अनाधिकृत कॉलोनियों में लगाई गई स्ट्रीट लाईटों के बिजली बिल का भुगतान पूर्वी नगर निगम जनहित में वैकल्पिक व्यवस्था के तहत कर रहा है।

		ऊर्जा विभाग टी.पी.डी.डी.एल. द्वारा सूचित किया गया है कि उत्तरी एमसीडी केवल उर्जा प्रभार का भुगतान कर रही है। बीआरपीएल द्वारा सूचित किया गया है कि यह सत्य है। बीवाईपीएल द्वारा सूचित किया गया है कि एमसीडी मेंटीनेन्स प्रभार का भुगतान कर रही है। **दक्षिणी दिल्ली नगर निगम** 2008 में दिल्ली सरकार द्वारा दिये गये फंड से डिस्कॉम द्वारा अनाधिकृत कॉलोनियों में लगाई गई स्ट्रीट लाईटों के बिजली बिल का भुगतान दक्षिणी दिल्ली नगर निगम जनहित में वैकल्पिक व्यवस्था के तहत कर रहा है। जिसकी राशि दिल्ली सरकार से मांगी जायेगी हालांकि 2016 के उपरोक्त आदेश अनुसार यह जिम्मेदारी डी.एस.आई.आई.डी.सी. की है। **उत्तरी दिल्ली नगर निगम** 2008 में दिल्ली सरकार द्वारा दिये गये फंड से डिस्कॉम द्वारा अनाधिकृत कॉलोनियों में लगाई गई स्ट्रीट लाईटों के बिजली बिल का भुगतान उत्तरी दिल्ली नगर निगम जनहित में वैकल्पिक व्यवस्था के तहत कर रहा है। जिसकी राशि दिल्ली सरकार से मांगी गई है हालांकि 2016 के उपरोक्त आदेश अनुसार यह जिम्मेदारी डी.एस.आई.आई.डी.सी. की है।
च	पिछले वित्त वर्ष में पूरी दिल्ली में कितनी अनाधिकृत कालोनियों में लाईट लगाई गई; पूर्ण जानकारी दी जाए;	डिपोजिट स्किम के अर्न्तगत केवल अमन विहार अनाधिकृत कालोनी में डी.एस.आई.आई.डी.सी द्वारा लगभग 800 लाईट लगाई गई ।
छ	क्या यह भी सत्य है कि दिल्ली नगर निगम अनाधिकृत कालोनियों में स्ट्रीट लाईट विधायक फण्ड से लगा रही है; प्रक्रिया सहित पूर्ण विवरण दें;	**पूर्वी दिल्ली नगर निगम** जी नही। **दक्षिणी दिल्ली नगर निगम** जी नही। **उत्तरी दिल्ली नगर निगम** जी नही।
ज	यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं;	**पूर्वी दिल्ली नगर निगम** अनाधिकृत कॉलोनियों में स्ट्रीट लाईट लगाने का कार्य पूर्वी दिल्ली नगर निगम के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। **दक्षिणी दिल्ली नगर निगम** दिल्ली सरकार द्वारा अपने आदेश संख्या WPC3569/UC-1/UD/CD-021295572/1627-1643 Dated 16.09.2016 व F.No.1-33/UC/UD/Policy/Part File/3030-3044 Dated 23.10.2017 के अनुसार अनाधिकृत कॉलोनियों की स्ट्रीट लाईट डी.एस.आई.आई.डी.सी. या सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग द्वारा ही लगाई जायेगी। **उत्तरी दिल्ली नगर निगम** दिल्ली सरकार द्वारा अपने आदेश संख्या WPC3569/UC-1/UD/CD-021295572/1627-1643 Dated 16.09.2016 व F.No.1-33/UC/UD/Policy/Part File/3030-3044 Dated 23.10.2017 के अनुसार अनाधिकृत कॉलोनियों की स्ट्रीट लाईट डी.एस.आई.आई.डी.सी. या सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग द्वारा ही लगाई जायेगी।
झ	क्या यह सत्य है कि सरकार द्वारा अपने आदेश संख्या WPC3569/UC-1/UD/CD-021295572/1627-1643 दिनांक 16.09.2016 के अनुसार अनाधिकृत कालोनियों की स्ट्रीट लाईट डीएसआईआईडीसी या सिंचाई एवं बाढ़	**सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग** सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग द्वारा स्ट्रीट लाईट लगाने का ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। **शहरी विकास विभाग (अनाधिकृत कॉलोनी शाखा)** हां यह सत्य है कि अनाधिकृत कॉलोनी के आदेश दिनांक 16.09.2016 के अनुसार अनाधिकृत कॉलोनियों में स्ट्रीट

	नियंत्रण विभाग द्वारा लगाई जाएगी;	लाईट डी.एस.आई.आई.डी.सी. के द्वारा डिस्कॉम लगाएगी।
ञ)	यदि हॉं, तो इन विभागों को स्ट्रीट लाईट लगाने के लिए वित्त वर्ष में कितना फण्ड आवंटित किया गया था, पूर्ण विवरण दें; और	इस वित्त वर्ष में कोई भी फंड स्ट्रीट लाईट के लिए नहीं दिया गया है।
ट	दिल्ली के अनाधिकृत कालोनियों में स्ट्रीट लाईट लगाने की विभागी की क्या योजना है, पूर्ण विवरण दे?	दिल्ली की अनाधिकृत कॉलोनियों में विभाग की योजना के बारे में यह कहना है कि अनाधिकृत कॉलोनियों में स्ट्रीट लाईट लगाने का मामला विभाग में अंतिम निर्णय हेतु लंबित है। इस मामले में जल्दी ही कोई निर्णय ले लिया जाएगा।

Dy. Secretary (U.D./P.C.)
Govt. of N.C.T. of Delhi
Delhi Secretariat
I.P. Estate, New Delhi-02